(छ) विनियोग थेरेलमें संख्या 3 विधेयक, 1993

(ज) विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1993

4. लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में जम्मू तथा कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1993 पर विचार और लौटाना ।

5. जम्मू तथा कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन आगे और जारी रखने संबंधी संकल्प पर चर्चा ।

6. लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) संविधान (7१वां संशोधन) विधेयक, 1992

(ख) संविधान (80वां संशोधन) विधेयक, 1993

(ग) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993

(व्यवधान)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Sir, I am on a point of order. This is not the time for Government Business. This is the time for Private Members' Business. As per the schedule we have to take up the Private Members' Business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I agree with you. The time taken for this will be extended after 5.00.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): You should have taken the sense of the House.

SHRI MOHD. SALIM (West Bengal): You should have taken the permission of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The time that has been taken by the Minister.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That is not the point. The point is, Private Members' Business was listed for discussion. Shri Ish Dutt Yadav was to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Ish Dutt Yadav is not there. (Interruptions). Malaviyaji, let us not be on the technicalities. As I have said, the time will be extended.

डा० अबरार अहमद : मालवीय जी, आप तो खुद पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर रहे है । **(व्यवधान)**

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: My submission is that you should have taken the sense of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I quite agree with you, but when Shri Lenka got up, you did not raise this point.

डा० अबरार अहमद : 7 व्यापार समझौतों पर डंकल मसौदा पाठ के निहितार्थों पर चर्चा – भारत के हितों पर इसके प्रभाव के विविशष्ट संदर्भ में ।

RESOLUTION REGARDING FORMULATION OF SCHEMES TO IMPROVE CONDITION OF FARMERS—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now we take up the Private Member's Resolution by Dr. Naunihal Singh. Shri Ish Dutt Yadav. Not there. Shri Ramachandran Pillai.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, I congratulate the mover of the Resolution. I also congratulate him for the excellent manner in which

[Shri Ramachandranan Pillai]

he has presented the issues. I agree with the object of the Resolution. The object is to ask the Central Government to change its policies in order to improve the plight of the peasants and farmers in the countryside.

Sir, the problems of agriculture and the problems of peasantry are of primary importance to the life of the country. The present policies of the Government connot solve the problem. The modified agricultural policy declared by the Government actually aggravates the problems. Instead of solving, it can only intensify the problems. Some of the hon. Members here claim that India has made tremendous progress in the post-independence period. I do not deny that we have made some progress in the production of foodgrains and non-foodgrains, but the progress is not sufficient. The progress has failed to improve the condition of farmers. The Resolution has drawn our attention to the fact that the agricultural productivity of our country is far below the level of other countries in the world. He has also drawn our attention to our agricultural productivity compared to our neighbouring countries. There we are much lower than our neighbours. Not only that, Sir. The near self-sufficiency claimed by my friends is also a product of the current low level of per capita consumption. Also, the increased productivity and production failed to reach the desired goals set in the Five-Year Plans. This increase in production and productivity failed to solve the problem of poverty in the country. They also failed to solve the problem of starvation deaths.

Every year we are reading reports of starvation deaths and we are seeing such instances. Of course, the Government claims that they are because of malnutrition. Whatever name you may give them every year there have been reports of starvation deaths. This year we read reports from Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa and Andhra Pradesh. This is happening every year. After all this so-called tremendous growth in productivity and production, our people are dying due to starvation!

Not only that, Sir. This increase in production and productivity has failed to solve the regional imbalances in the country. Actually, the regional imbalances have increased—not only regional imbalances, but also sectoral imbalances. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. This is what is happening. The so-called tremendous growth failed to solve these real problems in our country. Also, Sir, even after these four decades of planned growth, our agriculture continues to be a gamble with the monsoons. If there is rain, there is flood. If there is lack of rain, there is drought. Now we are expreiencing floods in one part of the country, and drought in another part of the country. Our four decades of planning has failed to solve these very vital problems facing our country.

Also, Sir, unemployment is mounting. Pauperization of the poor and middle sections of the peasantry is taking place in a big way in our country. This increase in production and productivity has failed to solve the problems of the agricultural labourers, has failed to solve the problems of the poor peasants, has failed to solve the problems of the middle peasants. It has only catered to the needs of the richer sections. The rich are becoming richer and richer and the poor and the middle level people are being pauperized in our country. Actually in the four decades of the policy, the main thrust was on catering to the needs of the riher sections. This is one of the reasons for the failure of all these Plans.

Some of my hon. friends have claimed that we have been able to increase the percentage of literates in our country. Of course, with regard to percentage there is some increase—I do not deny the fact. But what about the total numbers? We know the total number of the illiterate when India got freedom. But, actually, the total number of illiterates has increased during these 46 years of Independence.

The bonded labour is there. Many times we had discussed here about the bonded labour. We discussed in our House about child labour also. I was shocked to learn from the hon. Minister at that time said that we cannot solve these problems, we cannot prohibit these systems. This is the reality. Bonded labour is continuing, child labour is continuing. Then, what about the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, women and other backward sections of the people? They are the most exploited, and they are the most oppressed. In many parts of the country even civil rights are refused to them. The agricultural labourers are not getting the minimum wages in most parts of our country. The Central Government is even now reluctant to promulgate a legislation giving these rights to the agricultural labourers. The number of the landless and the number of the homeless are increasing in our country.

We are also experiencing a different types of phenomenon in most parts of our country. The old type of lease is not there now. Now we are experiencing a new type of lease in parts of western U.P., in parts of Haryana, in parts of Punjab, in most of these irrigated areas of our country. This is the area where the green revolution has taken place. In that very place we see that the poor peasants and the middle peasants find it difficult to compete with the rich sections, the landlords. They do not have enough money to invest in heir lands. They do not have any market protection. With all these difficulties they cannot compete with the rich peasants. So, what do they do? They give their land in lease to these rich peasants, landlords. So, a reverse type of tenancy is taking place all over the country. We fear that these poor sections and these middle sections will lose their lands. So, all sorts of developments are taking place.

Why have our plans failed radically to improve the lot of the poor sections, the majority, 90 per cent of the people in our countryside? It is because the policy so far pursued by the Government has not at all been intended to serve the needs of the agricultural labourers, poor peasants and middle sections, and it has been intended to serve the interests of the rich peasants. This is the real reasons for the ills that we are facing in our country.

Now the Government has declared a new agricultural policy. My submission is that the whole approach of the policy is wrong. The whole approach of the policy ignores the basic needs of our country. I am not against exports, but exports must not be at the cost of our independence. If we do not lay enough stress on self-sufficiency in foodgrains, of course, it is very difficult to maintain our freedom. As per the statistics, our population is expected to cross 1 billion mark by the turn of this century. To feed this size of the population properly the aggregate requirement would be 235 million tonnes of foodgrains and 26 million tonnes of oilseeds by 2000 AD. In addition to this, the requirement of green fodder and dry fodder will also increase to 1,200 million tonnes and 600 million tonnes respectively. The estimate for the requirement of wood pulp is to the tune of 400 million tonnes per annum. So, if we wish to enter into the field of export of agricultural products, the quantity required for exports is required to be produced in addition to these.

How to achieve these things? In order to acvhieve these things, we need to double our agricultural production. Then only we can talk of this export orientation. Can we achieve that thing by pursuing the present policy? It is absolutely impossible to achieve that much of increase by this policy. Our achievement during the period of the last 40 years has been, of course, through intensive agriculture, irrigation, making use of chemical fertilizers and pesticides, mechanisation and high-yielding varieties of seeds. These are the techniques that we use. I am not against technical improvement. I am for it. But, along with these, institutional changes are required. Without

[Shri Ramachandranan Pillai]

institutional changes, these benefits will not reach the amjority of the peasantry.

What do I mean about institutional changes? I mean about the genuine radical land reforms, distribution of the surplus land. What is our record about distribution of surplus land? Our record is very very poor. Again and again we are calling meetings of Revenue Ministers; again and again we are calling meetings of Chief Ministers, but there is no progress at all. As per the statistics, it can be seen that in 1967 the Mahalanobis Committee estimated with a 20 acre per family ceiling about 6.3 crore acres of surplus land. This was the estimation he made in 1967. What is the present record of distribution of such surplus land?

Till the end of March 1992, 62.56 lakh acres have been declared surplus, 62.63 lakh acres have been taken over by the Government and only 48.86 lakh acres have been actually distributed. That means only 1.25 per cent determined by the Mahalanobis Committee has been so far distributed. Where did this distribution of land take place? Out of this 20 per cent of the surplus land distribution took place in West Bengal. Where the peasant movement is strong where the left democratic movement is strong, there we have been able to implement some of these land reform measures for the benefit of the poorer sections of the people. In other parts of the country, the Government failed to implement the genuine land reforms. Now, see the security of tenure. In many parts othe country the tanants are not getting security of tenure. In many parts of the country tenants are evicted at will and in many parts of the country even the records of rights of the peasants are not there. It is an important issue. This is the balance sheet of implementation of the land reforms. Without these genuine and radical land reforms, we cannot solve the problem of unemployment; we cannot solve the problem of starvation deaths; we cannot solve the problem of poverty; we cannot improve the living standard of the majority of the people living in he countryside. So, what I submit is that a basic change in the policy is required.

Next to land reforms, irrigation and power are most important factors for increasing the productivity and production. Out of the sown area of about 2.73 million hectares, only 31.87 is served with some irrigation and the rest of 68.12 per cent, where the crops are being grown, are served by erratic and unpredictable rainfall. So, Sir, 40 per cent of the food production, 60 per cent of the rice production, 40 per cent of the wheat production, 75 per cent of the pulses, oilseeds and cotton are from these arid areas.

The Central Water Commission estimated the capacity of water. Out of the estimated capacity of water, only 4.25 per cent is tapped. This is our record of implementation giving water to arid lands. Apart from this, the inter-state variation is also very intense. In Punjab, 91.7 per cent of the land is irrigated, but in Maharashtra only 11.5 per cent of the land is irrigated. So, this is the wide variation existing in our country. This is the record of the planning of four decades. The technology we use for providing water for irrigating the land and for providing power to the peasants is not that latest. The Government should give more stress on it. Now they are talking about these things. The Eighth Five Year Plan is talking much about these things. It is laying more stress on irrigation. But actually the allocation part is declining. They are also inviting private persons in the irrigation field. That means the Government is not protecting the interests of the majority of the peasantry, the middle and the poor peasantries. They are taking care of the richer peasantry only. The approach of the Government should be changed. The technology that we use also should be changed. The technology that we introduce should serve the interests of the small and medium peasants. When we decide about technology, it should be consistent with the situation that is obtaining in our coun-

tryside. It should be labour-intensive also because we have to solve the problems in our country. That also we should take into consideration. Simply repeating one country's experience will not solve our problems. The Government is not caring for the poor and the middle peasants. They are caring only for the richer peasants.

Regarding credit facilities, many of the studies by the Reserve Bank of India and many other studies also show that the poor peasants and the middle peasants were not getting institutional finances, only the richer peasants were getting it. This condition is still continuing. The mover of the Resolution has rightly referred to the Narasimham Committee report. If we implement the recommendations of the Narasimham Committee report, what benefits do we get from the financial institutions? So far as agriculture sector is concerned, it will be losing all these things. This is the real state of affairs.

He also referred to the adverse trade. I do not want to go into the details. The poor and middle peasants need marketing facilities. They need storage facilities. The poor and the middle peasantries are forced to sell their product at a very low price at the time of harvesting. So the Government should provide cooperative marketing facilities and storage facilities. They should also provide them market protection.

The question of fragmentation is also there. I do not deny the fact. How to solve the question of fragmentation? The Government should take the initiative and provide some sort of group farming or cooperative farming. If the present policies are not changed, as I said earlier, pauperisation and marginalisation of the poor and middle peasantries will take place in a big way. Already that is happening in our country. So to protect the interests of the poor and he lower sections of the peasantry, group farming and cooperative farming are absolutely necessary. Also the New Agricultural Policy does not speak about the problems of agricultural labourers. They do not consider that a section like agricultural labourers is existing in our country. The Government should provide to them guaranteed minimum wages, better living conditions and better service conditions. The Government should also take steps to strengthen the public distribution system and the public health system in our country. All these things are required to be done. My learned friends here spoke about the increase in the prices of agricultural produce. The Government took certain steps. Who is going to benefit out of it? Only those who have got more surplus will get more prices. The poor peasants, the middle-level peasants have limited surplus. They do not get the benefits. What I would submit is, the Government should give concessions, subsidies and other help in making inputs. If the Government does not do that, the benefits will not reach the poor and the lower sections of the peasantry.

What about the poverty-alleviation programmes from the ruling-party side. Many of the friends here have said that the Government is giving more money. But all these programmes are not linked with development, the needs of growth. That linkange is not there. Of course, in a way, it gives some relief. But that is not enough. These programmes should be linked to our development needs, to our growth needs. Then, decentralisation of powers is a must for increasing productivity and production. The people in our countryside must be in a position to plan. They must also be in a position to execute those plans. For that, genuine decentralisation is a must. There also, what is our record? Only where the left and democratic movement is strong, genuine decentralisation is there. The ruling party's record is not at all encouraging. It is discouraging. What I submit is, a thorough change in the policy is required. Only a thorough Change in the present policies will make a change in the countryside, will make a change in the living standards of the poor people, of the majority of the people in the countryside. I stand for a

[Shri Ramachandranan Pillai]

thorough change in the present policy of the Government. It should stress the needs of the majority of the peasantry in the countryside. Almost 90 per cent of the peasantry in the countryside are at present ignored. The Government policies are catering to the needs of the 10 or the upper five per cent of the country side. So, I require a thorough change in the policy of the present Government. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Ahluwalia. Not present. Smt. Mira Das.

*SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Sir, I would like to speak in Oriya. Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to support the Resolution moved by my colleague Dr. Naunihal Singh in this august House At the outset I want to make it very clear that until and unless we make a thorough change of the present agricultural policy, we cannot dream of developing this country. The planners and policy-framers of India should realise that agriculture is the backbone of Indian economy. They should bear in their minds that no borrowed policy is going to take us any where. I have serious doubts in my mind about the success of the present economic policy propounded by the hon'ble Finance Minister, Dr. Manmohan Singh. Similar apprehensions have been expressed not only by Members of Parliament but also by many economic experts. We have opened our country's economy to the Multinationals. I am sure the motive of these multinationals is not to help us in recovering from the present economic crisis. Their sole aim is to exploit not only huge Indian market but also the availability of cheapest labour force of this country for their own benefit. The policy of liberalisation is going to give a death-blow to Indian economy. Therefore the present economic Policy of the government is not at all acceptable to us.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to speak about the agricultural policy of this government. My basic objection to the agricultural policy is that its makers have not at all realised the basic problems faced by small and marginal farmers in the countryside. Unfortunately, the government tend to think that the landlords, the holders of huge patches of land are the real farmers In its anxiety to help the big land owners of the country, the government forget to realise the problems of the real farmers. The small and marginal farmers of the rural India constitute the bulk of the farming community.

Mr. Vice-Chairman, Sir, we have just observed the forty sixth year of our Independence. The hon'ble Prime Minister has addressed the nation from the rampart of the Red Fort. His speech did not make a mention of the problems faced by small and marginal farmers and the toiling masses. Of course he has assured to look into the problems of women. I don't know how far he will be able to fulfill this assurance.

The biggest problem the country is facing today is the problem of unemployment. The list of unemployed persons in the Employment Exchanges is increasing day by day. Agriculture is the only way to provide employment to these increasing problem.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I come from rural Orissa. I have seen the problems of the poor farmers with my own eyes. I can speak with authority that the present agricultural policy is not going to help the poor farmers of rural India.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I hope the government is aware of the large-scale migration of people from rural area to Urban area. This problem needs to be considered by the government seriously. Why the people are migrating to Urban area ? The government should provide the basic amenties in the rural areas also.

*English translation of the original speech delivered in Oriya.

In the morning the House has already discussed the acute drinking water shortage in the city of Madras. The Minister, while replying to the question admitted that the drinking water problem is there in all big cities.

Mr. Vice-Chairman, Sir, now the government has developed the tendency to borrow money from the International Monetary Fund and World Bank. I do not know how far we are going to utilise the money properly. I wish to caution the government against falling into a debt-trap.

The first Prime Minister of India ignored the agricultural sector during his long tenure. Mrs. Indira Gandhi was no better in realising the problems of the farmers which constitute seventy per cent of our country's population. The Father of the Nation gave the call of self-reliance in everyfield. But unfortunately the leaders have ignored his message. Dr. Lohia called for thorough change in the Indian social set up.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I fail to understand the psychology behind this mad rush to the Urban areas by the people. We have to grow crops because we cannot afford to consume currency notes and gold that we earn in urban areas. If we do not grow sufficient food grain we will have to go to America with a begging bowl. I totally denounce the decision of the government does not change its policies we may very soon surrender the economic sovereignty of India. It is high time the government changed its attitude towards agricultural sector. The agricultural policy framed by the officers at Krishi Bhavan in New Delhi is not going to benefit the farmers. I am very much pessimistic about the capability of the Krishi Bhavan in delivering the goods. Now the time has come to treat agriculture as an industry. The basic facilities like irrigation and power should be made available to the farmers. The agriculture policy should be reframed by taking into consideration the problems of the farmers varying from state to state. The problems of the farmers of Haryana and the Punjab where ninety seven per cent irrigation facility is avaiable are certainly different from Maharashtra where only eleven per cent of land get irrigation facilities. The people involved in solving the problems of the farmers should have the basic knowledge of the farmers' problem. Then only the development of the country and solution to the acute unemployment problem will be possible.

While concluding my speech I would like to thank you Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to speak a few words in support of the Resolution.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री नौनिहाल सिंह जी द्वारा लाये गये संकल्प का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आप जानते हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी का जीवन इस खेती और किसान से जुड़ा हुआ है । मान्यवर, आपका ध्यान चाहूंगा । मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी बहुसंख्यक आबादी का जीवन खेती और किसान से जुड़ा हुआ है । चीन हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ । यदि मुझे सही याद है तो पहली उसने एक वर्षीय योजना बनाई वह केवल एक ही कार्य क्रम से संबंधित योजना थी और वह थी खेती--कि उसे अपने देश की खेती का विकास करना है और पैदावार को बढ़ाना है । संसार की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में हमें आज तक यह सुनने को नहीं मिला कि वहां भूख के कारण लोगों की मृत्यु हो गयी । हमारे देश का मूल पेशा खेती था । हमारा देश पिछड़ा था । हम विकास की ओर जाना चाहते थे, देश को आत्म निर्भर बनाना चाहते थे तो क्या हमारे देश की सरकार के दिमाग में यह बात नहीं आ सकती थी कि हम एक योजना केवल अपने देश के मूल पेशे को विकसित करने के लिये बनायें और सारा ध्यान हम खेती पर ही लगायें । मान्यवर, रोज हम यहां पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा केवल रस्म अदायगी तक सीमित रह जाती है और आये दिन परिणाम

(श्री संघ प्रिय गौतम)

क्या निकल रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, नियंत्रित नहीं हो पा रही है। देश का पैसा विदेश में जा रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, जेबों में जा रहा है, अर्थ-व्यवस्था चरमरा रही है, बिगड़ती जा रही है। उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है।

बेरोजगारी देश में बढ़ती चली जा रही है। इस पर हमारा नियंण नहीं है। पिछली बार जब हमारे देश में विदेशों से मंगवाया गया, तो इसी सदन में विपक्षी दलों के सब माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया और सरकार से पूछा कि यह विदेशों से गेहूं क्यों मंगवाया जारहा है?

तो उत्तर यह दिया गया कि स्टोर किया जा रहा है आगे आने वाले वर्षों के लिए, शायद पैदावार कम हो और हम आपूर्ति न कर पायें।

इस प्रकार की आशंका भी इस सरकार और देश के सामने थी और इसी दृष्टिकोण से बाहर से गेहूं मंगवाया गया। तो उसके बावजूद भी अपने देश की उपज को बढ़ाने के लिए, खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया गया, विशेष योजना क्यों नहीं बनाई गई और कृषि नीति अगर कोई है, तो उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों नहीं लाया गया?

मान्यवर, कभी-कभी भावनात्मक बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब स्व० लाल बहादुर शास्त्री जो इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने एक भावनात्मक नारा लगाया "जय जवान, जय किसान"। यही नहीं, देश के लोगों से कहा कि हफ्ते में एक समय का खाना आप लोग बन्द करें और उन लोगों के लिए, सरकार, जिन्हें एक समय का भी खाना भरपेट नहीं मिलता है, या जिनके पेट खाली हैं।

मान्यवर, उस नारे का बड़ा भारी प्रभाव हमारे देशवासियों पर हुआ। लोगों ने अपनी किचन गार्डन में भी सब्जियां और फल उगायें, खेती की और जहां पर भी जमीन उपलब्ध थी, वहां पर खेती की गई।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में करोड़ों, हैक्टर जमीन ऊसर बंजर, कल्लर, जोहड़ नाले, खोले, पठार और पहा जहां पर खेती हो सकती है, वह क्या खेती के योग्य बनी है? सरकार ने इस पंच वर्षीय योजना में कौन-सा लक्ष्य धिारित किया कि हमको इतने हैक्टर जमीन खेती में लानी है–

How much land have you brought under the target for cultivation?

कितनी जमीन? और जब टार्गेट नहीं है, तो फिर देश की उपज कैसे बढ़ेगी, न अन्न पैदा होगा, जब आप खेती योग्य भूमि को खेती के लायक नहीं बनायेंगे। और फिर खेती के लिये पानी चाहिए। हमारे देश में बहुत सी खेती बगैर पानी के, बगैर फसल बोये रह जाती है। तो फिर आपने इस पंचवर्षीय योजना में कितना टार्गेट फिक्स किया कि–

How much land do we have to bring under irrigation?

इस सदन के सामने सभी आंकड़े आपने प्रस्तुत किये कि इतनी असिंचित भूमि को सिंचित बना देंगे। तो क्यों नहीं आपने केवल इसी ओर ध्यान दिया कि सारी जमीन जो बेकार पड़ी हुई है, हम उसे खेती के योग्य बनायेंगे और सारी असिंचित भूमि को सिंचित बनायेंगे।

अगर आप ऐसा करते, तो क्यों उपज नहीं बढ़ती और क्यों विदेशों से यह गेहूं मंगवानी पड़ती और क्यों हमारे सामने आशंका रहती। जैसा कि आपने स्वयं कहा था कि उपज कम होने वाली है और उपज का सीधा संबंध होता है खाद से, बीज से, पानी से, बिजली से, यंत्रों से, किसान की लागत से और इन सब चीजों में देख रहा हूं, कमी आ रही है और किसान को जितनी

लागत अपनी खेती में लगानी चाहिये, इन सब चीजों पर बढ़ी हुई मंहगाई के कारण वह उतनी लागत लगा नहीं पा रहा है और जब वह सही लागत नहीं लगा पा रहा है, तो उसकी उपज नहीं बढ़ रही है और भविष्य स्वयं किसान का ही नहीं, इस देश का भी अंधकार-मय है।

तो आपने क्यों नहीं इस योजना में तय किया कि किसान के काम आने वाली जो बीजें हैं, या तो हम उनकी कीमत कम करेंगे, और या इस पर अनुदान किसानों को देंगे, इसके बाद किसान के द्वारा मेहनत और लागत से की हुई चीजों के दाम आप स्वयं तय करते हैं। किसान का उसमें सहयोग नहीं लेते। किसानों के अनेकों हमारे देश में संगठन है जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर्स प्राइस कमीशन में कितने किसानों के प्रतिनिधि हैं ? जबकि उद्योग में पैदा की जाने वाली चीजों के लिये कोई ऐसा कमीशन नहीं है। उनके दाम केवल उद्योगपति तय करते हैं। तो क्यों नहीं आपने किसानों के प्रतिनिधि उसमें रखे ? उन्हें अपनी मेहनत और लागत से पैदा की हुई चीज के उचित दाम किसान को नहीं मिल रहे।

माँन्यवर, क एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो गांव का रहने वाला व्यक्ति है, वह भले ही किसान न हो, लेकिन उसकी रोजी किसान से जुड़ी हुई है। किसान के अगर पैदावार ज्यादा होगी तो उसे रोजी मिलेगी और किसान के पैदावार नहीं होगी तो गांव में रहने वाले मजदूर को रोजी नहीं मिलेगी और आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं यह कैसी विडबना है कि एक तरफ तो हम रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन जिन माध्यमों से रोजगार गांवों में मिल सकता है हम उन माध्यमों को कमी की ओर या समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं और हम रोजगार के लिये भी भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं।

मान्यवर, मेरे दिमाग के अनुसार चार तरह के किसान होते हैं। एक तो वे किसान हैं जिनके नाम जमीन बहुत है, लेकिन उन्होंने कभी जमीनें ही नहीं देखी हैं। बिड़ला जी का भी फार्म है, लेकिन बिरला जी ने अपना फार्म स्वयं कभी नहीं देखा होगा। हमारे यहां ऐसे बहुत से लोग हैं, हजारों एकड़ के फार्म हैं। फार्म में फसल और खेती करना तो दरकिनार, उन्होंने अपना फार्म भी नहीं देखा होगा। लेकिन वे भी किसान हैं। वे किसान हैं क्योंकि उनके पास जमीन है। दूसरे वे किसान हैं, जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं। फार्म देखें तो हैं लेकिन वे किसान नहीं हैं। काम नहीं किया। जो हमारी इस कांग्रेस सरकार में मंत्री बने हुये भी बैठे हैं। ऐसे अनेकों हैं जो कि पुराने राजे-महाराजे, जमींदार आज यहां मंत्री बने बैठे है। हजारों एकड़ के उनके फार्म हैं। अगर सीलिंग एक्ट कहीं लागू भी किया गया तो फर्जी उसको लागू किया गया और जानकर, गधे, कुत्ते, बिल्लियों के नाम इन्होंने पट्टे करा लिए हैं अपने, लेकिन सारी जमीनें इनके पास हैं। मैं स्वयं अपने जिले बुलन्दशहर में दिखा सकता हूं, मौके पर चल कर दिखा सकता हूं, जो 20 साल यहां पर मिनिस्टर रहे। तो एक ऐसे किसान हैं जिनके नाम जमीन है, फार्म देखा है, लेकिन खेती कभी नहीं की है। तीसरे वे किसान है जिनके पास जमीन है और जमीन में दिन-रात काम करते हैं। लेकिन मान्यवर, चौथे वे किसान हैं जिन के पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन वे दिन-रात खेती में काम करते हैं। तो हमें जो इस देश में चिंता है यह पिछली दो श्रेणियों के जो किसान हैं उनकी चिंता है, जिनको हम भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों के नाम से पुकारते हैं या जिन्हें हम सीमांत कृषक कहते हैं या जिन्हें लघु कृषक कहते हैं। आज जो सब से बड़ी दुर्गति है वह इन्हीं दो प्रकार के किसानों की हैं। जो सीमांत कृषक हैं और लघु कृषक हैं। पूरी तरह से अपना जीवन-यापन खेती से ही नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ

खेती से लगे हुये धंधों से भी इनकी रोजी और जीवन जुड़ा हुआ है।

माननीय, जो और लोग विद्वान साथी कह चुके हैं मैं उन चीजों को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन यह दोनों तरह के जो पिछले वाले किसान हैं यह आज बेरोजगार हैं। यही आज गरीबी के शिकार हैं, यही शोषित हैं, यही पीड़ित हैं और यही शहरों की तरफ रोजी के लिये पलायन कर रहे हैं। इसलिये इसे रोकने के लिये भी खेती पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

माननीय, मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खेती में काम करके हम क्या-क्या चीजें पैदा कर सकते हैं, कितनी विदेशी चीज को देश में आने से रोक सकते हैं और कितनी अपने देश की चीजें भेज सकते हैं। हमारे देश के लोग कोका कोला पीते हैं और जाने कौन से कोला पीते हैं। मैं तो कभी पीता नहीं हूं। जितने पेय हैं इन पर एक पैसा विदेश का खर्च नहीं होता, सारा पैसा हम अपना खर्च कर रहे हैं और इनसे कुछ नहीं मिलता। (व्यवधान) शायद उन पेयों में अल्कोहल भी होता होगा। लेकिन हमारे किसान के घर में माननीय, कितने पेय पदार्थ होते है या हो सकते हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूध, लस्सी मट्ठा, गन्ने का रस, फल, फलों का रस, मैंगों, मैंगो-शेक, मैंगो जूस, नीबू, नीबू का रस, शिकंजी, अनार, अमरूद और अनेकों हमारे यहां के ऐसे पेय हैं जिनसे कि ताकत मिलती हैं, तन्दरूस्ती भी अच्छी रहती हैं, स्वास्थ्य लाभ भी होता है और चेहरे पर भी लाली आती हैं और ये सारी चीजें किसान के यहां पदा होती हैं, लेकिन हम विदेश से कोका कोला मंगा रहे हैं जिससे कि कोई लाभ नहीं होता उल्टे अपने देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने देश में जो चीजें पैदा कर सकते हैं, जिन्हें पीकर हम ताजे, मोटे और स्वस्थ हो सकते हैं, उन्हें हम पैदा नहीं कर रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडंबना है ? अगर किसानों को हम भैंसें दे दें, गाय दे दें तो किसान दूध पैदा करेगा, लस्सी पदा करेगा और छाछ पैदा करेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यहां पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हाल में बैठकर जो नमकीन और मीठी लस्सी पीते हैं और दही खाते हैं, यह कहां से आता है ? क्या ये इंडस्ट्रियलिस्टस से पदा करते हैं ? नहीं, इसे किसान पैदा करते हैं, डेयरी किसान की हैं। तो माननीय, यह कैसी विडबना हैं ? हम अपने यहां, अपनी भूमि पर गल्ला पैदा करके विदेशों को निर्यात कर सकते हैं। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश से हम जो निर्यात कर रहे हैं, उसमें कितनी चीजें ऐसी है जो कि उद्योग की पैदा की हुई हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई निर्यात का भविष्य है तो वह खेती से जुड़ी हुई चीजों को पैदा करके विदेश में भेजने का है उन्हें हम निर्यात कर सकते हैं, लेकिन कहां है दिमाग हमारे देश की सरकार का ? इस तरह वह नहीं सोचती।

माननीय, मैं तो हमेशा सुझाव दिया करता हूं। मैं केवल आलोचना ही नहीं करता। समय अब आ गया है कि बैठकर विचार करें और लाल बहादुर शास्त्री जी की एक नीति को अपनाएं और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी एक नीति तुरंत बदल दीजिए कि देश की ठेकेदारी अकेले आपकी है। आप बहुमत में नहीं हैं, आप अल्पमत में हैं और आप चरित्रहीनता करके गाजर-मूली की तरह, भेंट-बकरी की तरह सांसदों की खरीद-फरोख्त करके सरकार बनाए हुए हैं। आपको देश को विश्वास में लेना चाहिए। आप विपक्षी दलों के साथ सलाह-मशविरा कीजिए जिस तरह से कि लाल बहादुर शास्त्री हर हफ्ते विपक्षी दलों के सभी पार्टियों के नेताओं के साथ हर राष्ट्रीय मुद्दे पर सलाह-मशविरा किया करते थे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप हर मुद्दे पर देश की राय लीजिए। आप जन-प्रतिनिधि, चाहे वह लोकसभा के हों,

राज्यसभा के हों, चाहे किसी भी दल से संबंधित हों, उन्हें विश्वास में लेकर, उनके साथ हर विषय पर चर्चा कीजिए और निर्णय लीजिए। इससे आपको बहुत आसानी होगी जबकि सबके द्वारा चर्चित और पास किया हुआ विषय सदन में आएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gautam, you have to speak on the Agriculture Policy.

श्री संघ प्रिय गौतम : उसी विषय पर बोल रहा हूं। आप एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन उसमें किसान को पूछते नहीं हैं। मैं किसान का बेटा हूं, हमें कब बुलाया आपने? हमारा कोई योगदान नहीं है आपकी नीति में। मैं तो खेती के विषय पर बोल रहा हूं। आपकी नीति खुद की बनाई हुई है जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारी कोई साझेदारी नहीं है, किसान की कोई साझेदारी नहीं है, खेती में काम करने वाले व्यक्ति की आपकी खेती नीति में कोई भागीदारी नहीं है। मजदूर की नीति में मजदूर की कोई भागीदारी नहीं है क्योंकि आपकी नीति वह बनाते हैं जोकि दफ्तरों में बैठे रहते हैं जिन्हें प्रैक्टीकल अनुभव नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक तो आप अपनी इस नीति में परिवर्तन कीजिए। दूसरे टार्गेट फिक्स कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा साल है और साढ़े तीन साल अभी बाकी हैं, आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हम इतनी जमीन खेती के योग्य बनाएंगे भले ही वहां पर बुल्डोजर चलाने पड़ें। आपने जो जवाहर रोजगार योजना बनायी है तो जहां पठार हैं, जंगल हैं जहां कि जमीन तो पड़ी हुई है, लेकिन खेती नहीं हो रही है, वहां मजदूरों को लगा दीजिए जिससे कि मजदूरों को काम मिलेगा। उन्हें काम के बदले अनाज दीजिए या पैसे दीजिए, बेरोजगार को रोजी मिलेगी और जब काम के बदले अनाज मिलेगा तो वह भूखा नहीं मरेगा। यहां भुखमरी की रिपोर्ट नहीं आएंगी। लोग मेहनत करके फावड़े, कुदाली से जब जमीन को एक जैसा कर देंगे तो वह जमीन खेती के लायक हो जाएगी। फिर पानी की आप व्यवस्था कीजिए, ट्यूबवेल लगाइए, बोरिंग कीजिए, कैनाल ले जाइए। ऐसी एक पंचवर्षीय योजना आप बनाइए।

मान्यवर, आज बीस मंजिल मकान बन रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गाजियाबाद से लेकर दिल्ली को एक रोड मोहन नगर से आती है। यह सारी जमीन सरकार के कागजों में ग्रीन-बेल्ट दिखाई गई है। यहां यह निर्णय था कि कोई बिल्डिंग यहां नहीं बनेगी, लेकिन वहां पर सारी जमीन खेती की एक्वायर करके आबादी के लिए ले ली गई है। सरकार जिसकी हो, चाहे प्रदेश की हो या केन्द्र की हो, वहां पर वैशाली और कौशाम्बी के नाम से पन्द्रह-पन्द्रह मंजिल ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। वहां फ्लैट की कीमत पांच-पांच लाख, दस-दस लाख

रुपए है, कोई उन्हें खरीदने वाला नहीं है और वह बेकार खड़ी है। उनमें न कोई आएगा और जो वहां खेती होती थी वह भी चली गई। तो जहां ग्रीन बेल्ट है, जहां बहुत ज्यादा पदा होता है, उस खेती की जमीन को आबादी के लिए मत लाइए।

तीसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान की जमीन को आप अध्यापित करते है, एक्वीजिशन करते हैं जैसे कोई योजना आपने तय की तो आपने वहां की जमीन का एक्वीजिशन कर लिया और आपकी स्कीम तीन चार साल तक कागजों में ही रहती है। आप मौके पर योजना क्रियान्तित नहीं करते, लेकिन किसान से कब्जा ले लेते हैं, उसको खेती नही करने देते और तीन, चार, पांच साल तक वह जमीन बेकार पड़ी रहती है। यह जरूरी है कि वह जमीन बेकार न पड़ी रहे, उस में पैदावार हो, उस पैदावार से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमारा अन्न उत्पादन बढ़ेगा। तो कुछ आप नियमों में परिवर्तन कीजिए। यदि आपने कोई योजना एकदम क्रियान्वित करनी है तो किसान से आप कब्जा ले लीजिए, लेकिन अगर आपकी योजना में चार, पांच, छह साल लगते है क्रियान्वित होने में तो जब तक मौके पर काम शुरू न हो तब तक कानूनी आप कागजों में जमीन एक्वायर कर लीजिए, लेकिन मौके पर कब्जा किसान का रहने दीजिए, उसे खेती करने दीजिए।

मान्यवर, किसान की जमीन का भाव आप क्या देते हैं? मार्केट रेट। मार्केट रेट क्या है? मार्केट रेट आपके कागजों में जो निर्धारित होता है वह बहुत कम होता है और असल में बाजार में कुछ और भाव होता है। इससे सरकार स्टैम्प की ड्यूटी की चोरी होती है। बहुत महंगे दामों पर जमीन बाजार में मिलती है और किसानों को जमीन के पूरे पैसे भी नहीं मिलते हैं।

मान्यवर कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसान ने लालच में पैदा करना बंद कर दी हैं और कैश-क्रोप पैदा करने लगा है। यह कुछ चीजें ऐसी हैं यदि किसान इनको पैदा करे तो गांव में ही काम मिल सकता है। सरसों अगर पैदा होती है तो गांव में कोल्हू होगा तेली होगा तेल निकलेगा और इस तरह काम मिल जाएगा। गांव में कपास पैदा होगा तो उस कपास का इस्तेमाल करके उसकी रूई बनाकर धागा बनाकर कोली, जिनको वीवर कहते हैं कपड़े बुनने वाले वह गाव में रहेंगे और उन्हें काम भी मिलेगा। गांव में किसान सनई पैदा नहीं करता, सन और सनई पैदा कराइए क्योंकि नाइलोन आ गई है। क्या बोलते हैं इसको मुझे नाम याद नहीं। यह सन और सनई किसान के यहां होगा तो उससे लोगों को काम मिलेगा। लोग रस्सी बनायेंगे।... (**समय की घंटी**)... मान्यवर, बस खतम कर रहा हूं। बहुत से लोग रस्सी बनायेंगे गांव के लोगों को काम मिलेगा रस्सी बनाने का काम मिलेगा। आज गांव में काम खत्म हो गया है। लोगों को काम कहां से आएगा, अगर यह चीजें वहां पैदा नहीं होंगी। पहले गांव के अंदर ऐसी लकड़ी पैदा होती थी जिससे लोग टोकरी बुनते थे और बाजार में वह बेचने जाते थे। आज उनको भी काम नहीं है। बजाय इसके गांव में लोगों को काम मिलता, वहां काम खत्म हो रहा है। आप इतनी जल्दी मत कीजिए कि हम पच्चीसवीं सदी में चले जायें। कहीं ऐसा न हो कि "न खुदा ही मिला न विसाले सनम, "न इधर के रहे न उधर के रहे" पच्चीसवीं सदी में पहुंचने से पहले ही कहीं देश डूब न जाए। मुझे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। मैं भी देश का नागरिक हूं। अगर इसी तरह बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आबादी बढ़ती चली गई और विदेशी कर्जा बढ़ता चल गया तो देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए मान्यवर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसान को ये तो सुविधायें दें ही और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, खत्म कर दंगा कि बाढ़ यहां हर साल आती है, सूखा हर साल पड़ता है, यह कोई नई चीजें नहीं हैं दोनों इसके लिए कोई एक स्थाई योजना बहुत ही सलाह-मशिवरा, अध्ययन करने के बाद तैयार की जानी चाहिए क्योंकि यह परमानेंट फेज़ है, स्थाई चीज़ है यह सामयिक नहीं हैं यह

आती रहेगी। और तीसरी चीज़ जो चिंताजनक है, इस समय जिसको आप तुरंत कर सकते हैं कि खेती की पैदावार में किसान की पैदावार में उपज में जो उत्पादकता में कमी आ रही है इसका कारण क्या है? जैसा आप जानते हैं किसान के काम आने वाली चीजें जिनका उल्लेख मैं पहले कर चका हूं लिहाजा तुरंत आप उनको अनुदान दीजिए और उसके अलावा उनकी पैदा की हुई चीजों को आप खरीदने की व्यवस्था कीजिए।

अंतिम एक सुझाव है कि आप चाहे तो कलेक्टिव फार्मिंग कहें कोआपरेटिव फार्मिंग कहें ग्रुप फार्मिंग कहें जैसे हमारी सरकार ने बड़ा जोर दिया और स्वर्गीय राजीव गांधी को बड़ा श्रेय दिया कि ग्राम पंचायतों को हमारी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है।

Dr. Ambedkar was not in favour of Panchayati Raj.

यह संविधान सभा में भी उन्होंने कहा। गांधी जी का मत था कि "ग्राम पंचायतों में हमारे देश का लोकतंत्र छिपा हुआ है।' मान्यवर मत भूलिए आज से 50 साल पहले गांवों में सहकारिता की खेती होती थी। जिन दो किसानों के पास कम जमीन होती थी वे आपस में मिलकर एक बैल एक का और एक बैल दूसरे का दोनों मिलकर एक दूसरे का खेत जोतते थे।

It was nothing but co-operative farming.

इसलिए आज आप कलेक्टिव फार्मिंग या कोआपरेटिव फार्मिंग या ग्रुप फार्मिंग कोई नाम इसको दें जो सीमांत या लघु कृषक है जो ट्यूबवेल नहीं लगा सकता जो बिजली नहीं लगा सकता आप उनके लिए ऐसी योजना लाइए तो हमारे देश के किसानों का भला होगा।

मैं माननीय नौनिहाल सिंह जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प को लाकर के सरकार का ध्यान आकर्षिक करने का एक अवसर दिया है और मुझे आशा है कि सरकार जागेगी। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन के सम्मानीय सदस्य नौनिहाल सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और भारत, जो एक कृषि प्रधान देश है, उसके सामने आने वाली समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान इस प्रस्ताव के माध्यम से दिलाया है, यह अच्छा प्रस्ताव है।

आज भारत में 70–80 प्रतिशत किसान खेती पर आधारित हैं। यहां की जनता का लालन-पालन खेती के उत्पादन से होता है। लेकिन जब से इस देश को आजादी मिली, तब से अगर हम तुलना करें तो हम पायेंगे कि देश का जितना विकास हुआ है, उतना किसानों का विकास नहीं हो पाया है। इसके पीछे कारण चाहे कुछ भी रहे हों, मैं यह मानता हूं इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और उसने किसानों के विकास के लिए कई नई-नई योजनायें लागू कीं, लेकिन किसानों का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। फिर भी कुछ विकास जरूर हुआ, इसको हम नकार नहीं सकते। देश के अंदर औद्योगिक क्रांति आई। नेहरू जी ने देश में उद्योगों की बढ़ोत्तरी के लिए योजनायें लागू की, साथ ही साथ किसानों के विकास की भी कई योजनायें लागू की। देश के अंदर पंचवर्षीय योजना लागू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए कृषि विकास के लिए रखे हैं। धीरे-धीरे इस पंचवर्षीय योजना का पैसा बढ़ता गया और चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 18 हजार करोड़ रुपए किसानों के विकास के लिए रखे गए हैं। परन्तु जो पैसा योजनाओं के माध्यम से रखा जाता है और किसान के विकास तथा खेती के विकास के लिए जो कार्यक्रम दिए जाते हैं उनमें कुछ विसंगतियां हैं, जिससे जितना विकास इन योजनाओं के माध्यम से होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। इसके क्रियाकलाप में या इन योजनाओं के कार्रवाई करने के कार्यक्रम के अंदर कहीं गड़बड़ी है। इसलिए पूरा विकास और इन योजनाओं का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है।

[श्री मूलचन्द मीणा

भारत का किसान प्राकृतिक आपदा से हमेशा परेशान रहा है। भारत में आजादी के 46 साल के अंदर ऐसा कोई साल नहीं होगा, जहां प्राकृतिक आपदा से किसान परेशान न रहा हो, दुखी न रहा हो। देश के किसी भाग में बाढ़ आती है, बाढ़ का प्रकोप किसान के ऊपर होता है। किसान द्वारा जो फसल बोई जाती है, वह ही बाढ़ से खराब नहीं होती है, बल्कि जिस जमीन में वह बोता है वह जमीन भी खराब हो जाती है। कहीं गड्ढे हो जाते हैं। तो किसान को इस जमीन को ठीक करने में कई साल लग जाते हैं। सूखे का प्रभाव–सूखे के प्रभाव से किसान त्राहिमान करता है। उसको खाने के लिए अनाज नहीं, उसके पशुओं को चारा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। ऐसी हालत हो जाती है उसकी। इसके अलावा किसान जब अपनी फसल बोता है तथा उसकी सिंचाई करता है और यह आशा करता है कि अब की बार मेरी फसल अच्छी होगी। लेकिन उस बार हिमपात ऐसा होता है, ओलावृष्टि ऐसी होती है कि उससे किसान की खेती चौपट हो जाती है। इसलिए इस देश के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से प्रकृति पर आधारित दो फसल किसान लेता है–रबी और खरीफ– लेकिन 46 साल के अंदर हमने इस देश के अंदर देखा है कि किसानों के लिए एक रिलीफ की फसल है, जो उनका नुकसान होता है और क्षतिपूर्ति के लिए सरकार की ओर से उसे अनुदान या मुआवजा जरूर दिया जाता है। इस देश के अंदर यह नई तीसरी फसल, एक नया प्रकार बना है। अभी कुछ दिन पहले इस सदन के अंदर बाढ़ और सूखे पर चर्चायें हुईं। जिस एरिए में बाढ़ नहीं आनी चाहिए, उस एरिये के अंदर बाढ़ आई। मैं राजस्थान से आता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जहां पर किसान, जिस जिले के लोग बरसात की बूंदों को टपकते हुए देखते थे, तो यह कहते थे कि भगवान अब राजी हुआ है और कुछ छींटें डाल रहा है। आज जैसलमेर जिले के अंदर बाढ़ आ जाए, बाढ़मेर में बाढ़ आ जाए, सरकार प्रयत्न करती है बाढ़ रोकने का। लेकिन प्रकृति का प्रकोप ऐसा है कि सरकार दक्षिण में यदि इलाज करती है तो पश्चिम में बाढ़ आ जाती है और पश्चिम में इलाज करती है तो दक्षिण में बाढ़ आ जाती है। चाहे सरकार कितने ही प्रयत्न करे लेकिन मैं यह मानता हूं कि प्रकृति के प्रकोप को वह रोक नहीं सकती है। मैं तो यहां बैठे हुए कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों को इन आपदाओं से वास्तव में जो क्षति होती है उसका आकलन जिस तरीके से होता है जिस तरीके से किसान को मिलता है उसके फलस्वरूप वास्तविक रूप में किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं वे किसानों तक उनकी क्षति-पूर्ति का पूरा पैसा पहुंचने नहीं देते हैं और खुद ले लेते हैं।

अकाल सूखे या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की जो रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आती है उसमें भी काफी टाईम लग जाता है। किसान को बाढ़ या सूखे से प्रभावित होने पर तुरंत सहायता चाहिए लेकिन सहायता देने में 6–7 महीने लग जाते हैं और उस सहायता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि जब कहीं भी बाढ़ आए तो आप यहां से एक टीम भेजें वह रिपोर्ट लाए और तुरंत किसान को रिलीफ दी जाए। इसी प्रकार से सूखे की स्थिति आज गांव-गांव के अन्दर है। एक ब्लाक के अंदर सूखा होता है और सरकार का सिस्टम क्या है कि एक पंचायत समिति के अंदर 40 पंचायतों में से 10 पंचायतों में सूखा है तो भी उस सूखे की रिपोर्ट वह पटवारी से मंगाती है। यदि वह पटवारी 80 प्रतिशत सूखा दिखा देता है तो सूखा घोषित हो जाएगा। चाहे वहां वर्षा नहीं हुई और सूखे से फसल चौपट हो गई लेकिन अगर पटवारी रिपोर्ट नहीं लिखेगा तो किसान को इस सूखे का जो मुआवजा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा और किसान उससे वंचित हो जाएगा।

इसलिए आपको सूखे से किसान को बचाना है। आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। उनको आप वहां भेजें

गांवों का सर्वे करायें। तब सही मायनों में किसान को सूखे के कारण हुई क्षति का पूरा मुआवजा मिल सकेगा और समय पर मिल सकेगा।

महोदय, इस देश के किसानों के लिए नई-नई टेक्नोलोजी नए-नए खेती के यंत्र आ रहे हैं और इससे किसानों का विकास हो रहा है इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस सदन में यह बात कही थी कि किसानों के विकास के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। यह बात गलत है। किसानों का जितना विकास होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया।

महोदय, पहले हमारे देश के अंदर खेती हलों से की जाती थी। हल-बैलों से खेती हमारे देश का किसान करता था लेकिन आज किसान को ट्रैक्टर उपलब्ध है। नए प्रकार के हल किसान को मिलने लगे हैं। सिंचाई के लिए पंपिंग सैट मिलने लगे हैं। जो किसान पहले बिजली का नाम तक नहीं सुनता था, जिस बिजली को जानता नहीं था आज वह किसान उसी बिजली के प्रयोग से खेती करने लगा है। उसको नई टेक्नोलोजी मिली है। सिंचाई के नए साधन मिले हैं। आज देश के अंदर सिंचाई के लिए कई बांध बनाए गए हैं। यह हो सकता है कि जितनी किसान को आवश्यकता है उतने बांध नहीं बने और किसान को सिंचाई के लिए उतना पानी न मिल पाया हो। लेकिन कुछ तो किया गया है इस देश के किसानों के लिये। बड़ी बड़ी योजनायें किसानों की सिंचाई के लिये देश के अन्दर लागू की गई। सरकार की जो योजना है उसका 70 प्रतिशत पैसा जो वह खर्च करती है किसानों के नाम पर सरकारी बजट में, लेकिन उस का पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाता है। यदि 70 प्रतिशत लाभ किसानों को मिला तो आज भारत के किसानों की यह दयनीय दशा नहीं होती। जो देश कृषि प्रधान देश था, किसानों का देश था वहां का किसान आज पिछड़ा हुआ किसान है। दुनिया का किसान आगे जा रहा है लेकिन हमारा किसान अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसमें कुछ दोष हम लोगों का भी है, उधर बैठे हुये सदस्यों का भी है। देश में लोकतंत्र की मजबूती के साथ किसानों की भी मजबूती होनी चाहिये इस लिहाज से सरकार व देश के किसानों के लिये नई तरह की खाद मंगाई। लेकिन हमारे देश के अन्दर कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी इस देश में बनीं जिन्होंनें किसानों को, अशिक्षित किसानों को भड़काया, बहकाया और इसके सिवाय कोई दूसरा काम नहीं किया। यूरिया खाद का किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब यूरिया खाद गांवों के अन्दर ले जाई गई तो हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार के लिये जाते थे तो वे लोगों को एक बात कहते थे कि यह यूरिया खाद किसानों ने अगर इस्तेमाल खेत में की तो उनके खेत में कोढ़ बन जायेगा। इस खाद को कांग्रेस की सरकार किसानों को बरबाद करने के लिये लाई है। जो किसानों के लिये वोटों की बात करने जाते थे उनको भड़काते थे और उनको कहते थे कि उन के साथ अन्याय होने वाला है। देश के अन्दर पहले यह सिस्टम था कि किसान पैदा करता था और बीच के बिचौलिये किसानों की कृषि उपज को मनमाने ढंग से खरीद लेते थे और उसका कोई भाव नहीं होता था। तुलाई का काम भी अजीब तरह का था। लेकिन सरकार ने आजादी के बाद किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये मंडियों की व्यवस्था की। कई जगहों पर मंडियों की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन उसमें भी कई जगह कमियां हैं। तो मंत्री जी आपको यह देखना पड़ेगा कि आप की कृषि उपज मंडी में जब किसान अपना अनाज लेकर जाता है तो वहां पर उसके ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती, पीने का पानी भी उसको नहीं मिलता। किसान मंडियों में जाकर परेशान होता है जो कि उचित नहीं है। इसलिये पहले आप मंडियों की व्यवस्था करें, उनकी व्यवस्था को सुधारें। मैं तारीफ करता हूं कि सरकार ने कोशिश की है, हर ब्लाक में एक मंडी

की व्यवस्था की है, किसानों के लिये सरकार ने बिजली की व्यवस्था की है। लेकिन मुझे यह कहते हुये मंत्री जी अफसोस है कि जब देश के आम नागरिक खेती पर आधारित हैं तो आप उद्योगों को जितनी बिजली देते हैं, किसानों को उसी प्रकार से बिजली समय पर क्यों नही देते ?

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : पीठासीन हुये]

उपसभाध्यक्ष महोदय, 1990 में राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे अफसोस है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच पर। किसानों को राजस्थान में पहले बिजली का कनेक्शन 25 रुपये की अप्लीकेशन लगानें पर मिलता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी तो किसानों को बिजली की अप्लीकेशन लगाने के लिये एक हजार रुपये देने पड़े और उसके बाद 10 हजार रुपये जमा करनें पर किसानों 4.00P.M. को बिजली देनें की बात कही गई। एक नई योजना वहां के मुख्य मंत्री ने और निकाली। बिना नम्बर के आप 30 या 35 हजार रुपये खर्च करेंगे तो आप को डायरेक्ट कनेक्शन मिल सकता है। ऐसी-ऐसी योजनायें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाली जिसका भयंकर विरोध राजस्थान के अन्दर हुआ। राजस्थान के किसान, राजस्थान के लोग एकदम सरकार के सामने आये। तब सरकार को इसको विदड्रा करना पडा। कैसी सोच है इन की किसानों के प्रति।

अक्तूबर, नवम्बर की बात है खाद पर सब्सिडी हटाई गई। केन्द्रीय सरकार व स्टेट गवर्नमेंटों को यह निर्देश दिया गया कि जितना भी खाद का कोटा है आपके यहां उसको सीलकर दिया जाय। इसके लिये एक निश्चित तारीख बताई गई थी। लेकिन राजस्थान की सरकार नें उस कोटे को सील नहीं किया बल्कि 6 दिन की छूट व्यापारियों को दे दी जो खाद बेचते थे। ये लोग किसान के भले की बात सोचते हैं या व्यापारियों के भले की बात सोचते हैं इससे ही आपको पता लग जाता है। आज किसान की बात कर रहे हैंनौनिहाल सिंह जी और ऐसा प्रस्ताव लेकर आये है। इससे लगता है यह ऊपर से ही बात कर सकते हें पार्टी के अन्दर कहीं भी किसानों के प्रति दुख दर्द नहीं है। मैंने दो उदाहरण बताये राजस्थान के, इनकी सरकार के वक्त के कि कैसा-कैसा सलूक इन्होंने किसानों के साथ किया और इनके किसानों के प्रति क्या विचार है।

सरकार ने किसानो के विकास के लिये, कृषि के विकास के लिये कई कृषि विश्वविद्यालय खोले हैं। इस सरकार नें कृषि विश्वविद्यालय उत्तर और पूर्व के कुछ स्टेटों के लिये खोले हैं। 270 कृषि विज्ञान केन्द्र खोले हैं। कृषि मंत्री जी किसान घर से हैं इसलिये किसान की समस्या को समझते है। देश के स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी नई टेक्नोलोजी किसानों को देने की बात सोचते थे। किसानों के विकास के लिये राजीव गांधी जी नें वाटर मैनेजमैंट की स्कीम चलाई थी यानी यानी किसानों को वास्तविक रूप से मिले, पानी बर्बाद न हो। एनीगल हसबेंडरी का कार्यक्रम राजीव गांधी जी ने चलाया था। पाल्टरी डवलपमेंट का प्रोग्राम उन्होंने उस समय दिया था। हार्टीकल्चर कार्यक्रम दिया था। ये सब कार्यक्रम आज हमें देखने को मिलते हैं। किसान के पशुओं का इलाज गांव के अन्दर हो, किसान मुर्गी पालन का धंधा कर सके, कृषि का धधा कर सके, दूध का धंधा कर सके, ये सारी स्कीमें राजीव गांधी जी ने चलाई थीं। वह नये विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने इस देश को नया रूप देने के लिये किसानो के लिये नई-नई योजनायें चलाई। आज किसानों को सरकार के माध्यम से आईआरडीपी, आरएलजीपी, आईसीआर कार्यक्रम दिये गये है। किसानों के विकास के लिये जो पैसा और योजनायें दी गई हैं यदि इनका सही उपयोग किया जाय तो मैं यह मानता हूं कि

निश्चित ही भारत के किसान का विकास होगा । लेकिन मंत्री जी आज एक समस्या हमारे सामने देश के गांवों की है । आज गांव के किसान का प्रभाव, गांव के किसान का लगाव शहरों की ओर हो रहा है । वह गांव में रहने के बजाय शहरों में रहना पसन्द करने लगा है । इसका मूल कारण हमारी व्यवस्था है क्योंकि शहरों के अन्दर स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये सुव्यवस्था है । गांवों के अन्दर नहीं है। इसलिये गांवों के अन्दर यह व्यवस्था की जानी चाहिये । शिक्षा की व्यवस्था शहरों के अन्दर जो उपलब्ध है वह गांवों के अन्दर नहीं है । पानी की कोई व्यवस्था गांवों के अन्दर नहीं है । शहरों के अन्दर सड़कों की व्यवस्था है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप किसानों का विकास करने के साथ साथ गांवों के विकास में, शिक्षा, पानी, रोजगार और सडक आदि जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उनको किसानों के लिये पूरा करें। सरकार ऐसी योजनाओं को लागू करे जिससे गांवों के लोगों का जो मन गांवों से उठ रहा है और वे शहरों की ओर जा रहे हैं वह रुक सके ।

सरकार बीमा योजना किसानों के लिये लागू कर रही है' यह अच्छी बात है । अगर बीमा योजना अन्य कार्य में लागू होती है तो किसानों के लिये क्यों न लागू हो, इसको सोच कर ही सरकार ने सोचा कि किसानों को खेती के लिये भी बीमा योजना लागू की जाय । यह अच्छी बात है । इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि किसान के ऊपर हर तरीके से संकट आता है । किसान जिस दिन खेत में बोने के लिये जाता है तो जब तक वह काट कर उस अनाज को अपने घर नहीं ले आता है तब तक खेती के ऊपर अनेक संकट रहते हैं । इसलिये बीमा योजना से किसानों की क्षतिपूर्ति होगी । आपके हृदय के अन्दर किसानों के लिये दर्द है, इसीलिये आपने यह बीमा योजना को लागू किया है । मैं चाहता हूं कि आप इसे तुरन्त लागू करें और हर ब्लाक के अन्दर लागू करें । इसमें कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिये । जब बाढ़ और सूखे पर सदन में चर्चा हो रही थी तो बाढ़ से मरने वालों की संख्या बहुत तादाद में थी और उनको दिया जाने वाला जो मुआवजा था, उनके घर वालों को जो दिया गया था . . . . : **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है । दो रोज से हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं । इसलिये अगर इसमें सरकार का बयान भी हम सुनें तो अच्छा रहेगा । इसलिये में सदस्यों से कहूंगा कि वे संक्षेप में बोले तो ठीक रहेगा । हम मंत्री जी की बात भी सुन सकेंगे कि किसानों के लिये क्या कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इसमें सभी सदस्य एक राय होंगे कि उनको भी अवसर दिया जाय और हम मंत्री जी की बात सुनें ।

श्री मूल चन्द मीणा : किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह कहीं 20 हजार, कहीं 10 हजार और कहीं 50 हजार रुपये दिया गया । ये विसंगतियां मानव के साथ हैं । वैसे देश के प्रधान मंत्री जी ने जहां भी बाढ़ आई या सूखा पड़ा तो वहां का दौरा किया और जो मुआवजा दिया, चाहे वह ज्यादा नहीं था, लेकिन दिया । मैं समझता हूं कि आप उनके नुकसान की रिपोर्ट मंगा कर उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें जिससे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से किसान की मुक्ति मिल सके । किसान के विकास के लिये जो नई टेक्नोलोजी देश के अन्दर लागू की जा रही है, उसके लिये जगह जगह कैम्प लगाये जायें किसानों में उसका प्रचार किया जाय और किसानों को जो नये फार्मूले हैं उसके अनुसार कृषि करने के लिये कहा जाय ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके । जो संकल्प की श्री नौनिहाल सिंह जी लाये हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी पार्टी के लोगों में इस विचार को दें कि वे किसानों के प्रति अच्छी भावना पैदा करें तभी इस संकल्प की वास्तविकता सामने आयेगी । मैं यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : श्री सत्य प्रकाश मालवीय । मैं सभी सदस्यों से कहूंगा कि वे अपनी चर्चा को जरा संक्षिप्त करें तो हम समझते हैं कि मंत्री जी की बात सुनने का भी हमें अवसर मिल जायेगा, वरना ऐसा अवसर नहीं मिलेगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम लोगों के विद्वान सहयोगी जो कृषि क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ भी हैं, डा० नौनिहाल सिंह, उन्होंने अपने संकल्प के माध्यम से इस सदन और सरकार को मौका दिया है कि हम लोग किसानों की जो समस्यायें हैं, विशेषकर लघु और सीमांत किसानों की जो समस्यायें हैं, शिक्षित ग्रामीण युवकों की कृषि संबंधी जो समस्यायें हैं, उन पर विचार करें और किसी नतीजे पर पहुंचें कि ग्रामीण जीवन क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार हो । इस सदन में हर वर्ष सूखे पर, बाढ़ पर विस्तार से चर्चा होती है । जब जब इस देश में प्राकृतिक विपदायें आती हैं, वह चाहे अतिवृष्टि हो चाहे सूखा हो, भूकम्प हो या ओला वृष्टि हो ये सब जो प्राकृतिक विपदायें हैं इनसे किसानों को ही नुकसान पहुंचता है और जो किसान की फसल होती है वह नष्ट होती है उसके मवेशी मर जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं । भारत सरकार की ओर से मैं नहीं कहता कि प्रयास नहीं होते हैं, प्रयास होते हैं, लेकिन आज तक हम लोग बाढ़ से इनको बचाने के लिए समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाल सके हैं और इसलिए प्रतिवर्ष इन प्राकृतिक विपदाओं का परिणाम किसानों को भुगतना पड़ता है । महोदय हमारा विशाल देश है । यहां ऐसा भी है कि देश के किसी हिस्से में किसान सूखे की मार से मरता है और उसी मौसम में किसी दूसरे हिस्से में किसान बाढ़ से मरता है । मैं केवल कुछ बिन्दुओं पर ही चर्चा करूंगा क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमें पता चले कि श्री अरविन्द नेताम जो कृषि मंत्री हैं उनका किसानों के प्रति दर्द है लेकिन इस बारे में सरकार का क्या रवैया है वह हम सुनें ।

एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज डंकल प्रस्तावों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि कृषि के क्षेत्र में डंकल प्रस्ताव से बहुत हानि होगी और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषक हैं उनको हानि होगी । इसलिए डंकल प्रस्ताव के बारे में सरकार अपना पक्ष स्पष्ट क्यों नहीं करती इस पर पिछले एक सवा साल से चर्चा हो रही है लेकिन आज तक सरकार की ओर से इस बात की कोशिश नहीं की गई है कि डंकल प्रस्ताव पर चर्चा हो । हमारे बहुत से विद्वान सहयोगी पूर्व भी बोले हैं और डंकल प्रस्ताव की चर्चा उन्होंने की है । इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कृषि मंत्री यह उत्तर दें और इससे सदन को अवगत करायें कि डंकल प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में कभी चर्चा होगी या नहीं होगी और अगर चर्चा होगी तो वह कब होगी ? पिछले सत्र में भी जब सत्र उठा था और उससे पहले भी जब सत्र उठा तो यह कहा गया था कि डंकल प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

दूसरा किसानों की जो उपज है उसको उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है । इसीलिए बहुत दिनों से मांग चली आ रही है जब हम लोग लोकदल में थे तो हमारे नेता चौधरी चरण सिंह थे । चौधरी चरण सिंह कृषकों के हिमायती थे और उनकी हमेशा यह राय रहा करती थी कि किसानों को अपनी उपज की कीमत को तय करने का अधिकार होना चाहिए । क्योंकि जो उद्योग है उसमें जिस चीज का उत्पादन होता है मिल और कारखानों में उनकी कीमत को तय करने का अधिकार वहां के मालिक को है । लेकिन किसान जो अपना खून-पसीना बहाकर अपने खेतों में चीजों को उपजाता है उसको उनकी कीमत तय करने का अधिकार नहीं है । बल्कि जो अग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है कृषि मूल्य आयोग है इसका अधिकार उसको है । तो हमारी यह भी मांग है कि इस बात का अधिकार किसान को होना चाहिए । पिछली सरकार ने, जिसमें चौधरी देवी लाल जी इस देश के कृषि

मंत्री थे उनके समय में कृषि क्षेत्र के संबंध में एक भानुप्रताप सिंह कमेटी बनी थी जिसका नाम था हाई पावर कमेटी आन अग्रीकल्चर पालिसीज एण्ड प्रोग्राम, कृषि के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति। इस समिति में कई सदस्य ऐसे थे जो स्वयं किसान थे। उन लोगों ने काफी विचार-विमर्श करने के बाद जुलाई 1990 में अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी। महोदय कई बार मैंने इसी सदन में प्रश्न किये कि आखिर भानुप्रताप सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट कृषि के संबंध में है, उन संस्तुतियों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। लेकिन बराबर सरकार की ओर से यह उत्तर आता है कि सरकार विचार कर रही है, सरकार विचार कर रही है और उस समिति ने भी यह रिपोर्ट दी थी कि किन परिस्थितियों में सरकार को कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। इसके संबंध में जो उसकी रिकमेंडेशन है, उसको मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा --

"In conclusion we state that so long as agriculture is given the same facilities and incentives as industry and similar norms and criteria are applied in domains like fixation of prices, budgetary allocations, credit power, transport and export facilities, it is of little consequence if any formalised status is given to agriculture. However, if the well-established and pronounced bias against agriculture as observed by us can't be converted by Government policies and programmes without according it the formal status of industry, the Committee recommends that agriculture be declared as an industry."

तो मैं यह चाहूंगा मंत्री जी जब उत्तर दें तो इस पर भी प्रकाश डालें कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में जो भानु प्रताप सिंह समिति की संस्तुति थी उसके संबंध में सरकार का क्या विचार है और बाकी कृषि के संबंध में जो विचार वह भी कहना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में किसान को बिजली नहीं मिल पाती है, पानी नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में आज हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इत्तेफाक से इस समय वहां राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल का शासन है, कई स्थान ऐसे हैं जहां 24 घंटों में केवल दो घंटे ही बिजली मिलती है। जब किसान को बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा तो किसान अपनी खेती कैसे करेगा, कृषि उत्पादन कैसे करेगा? इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस संबंध में मंत्री जी थोड़ा स्पष्टीकरण करने की कृपा करें; डा0 नौनिहाल सिंह जी ने बहुत विस्तार से और हमारे सहयोगियों ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है और मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। भारत तो गांवों का देश है। भारत के करीब-करीब 85 प्रतिशत क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें करीब 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आज देहात से शहरों में पलायन हो रहा है। उसका कारण यह है कि जो गांव में रहते हैं, जो भूमिहीन हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, वे गांव में रह कर अपना जीवनयापन कर ही नहीं सकते हैं। जीवनयापन न कर पाने के कारण काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में उनको गांव छोड़ कर आना पड़ता है। शहरों में आ कर उनको रिक्शा चलाना पड़ता है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहना पड़ता है, कुलीगिरी का काम करना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस संबंध में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। मेरी अपनी निश्चित राय है कि यदि गांवों में वही सुविधा साधन उनको उपलब्ध हों तो जो लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, अपनी पैदायशी जगह को छोड़कर लोग शहर नहीं आना चाहेंगे। रिक्शा नहीं चलाना चाहेंगे, शहर में आ कर जानवरों से बदतर जिन्दगी नहीं जीना चाहेंगे। इसलिए मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए। एग्रीकल्चर पालिसी रेजोल्यूशन भी बहुत दिन बाद यहां पेश हुआ। इस पर भी मेरी राय यह है की इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं जरूर चाहूंगा कि मंत्री जी जब उत्तर दें तो जिन बिन्दुओं की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है, उनके

संबध में निश्चित रूप से न केवल उत्तर दें बल्कि कुछ आश्वासन भी दें और आश्वासन दे कर उसको कार्यान्वित भी करें जिससे इस देश के लघु किसानों, मार्जिनल किसानों, किसानों के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के जीवनस्तर में सुधार हो।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I join other hon. Members of the House in their recommendations and appreciation of the Resolution that has been moved by Dr. Naunihal Singh. It is a very comprehensive resolution. In a way, if I may say so, Sir, in the first place it indicates as to what has not been done over the years. I do not propose to blame any party for this. But it does indicate despite claims what has not been done over the years in the country. In the second place, I would like to submit that in a very constructive spirit and in a very scientific manner, he has pointed out what is necessary and is required to be done. Every word, every phrase, he has used in this resolution underscrores an issue or a problem and suggets, by itself, as to what ought to be done. If I may say so, Sir, in a way, this resolution expresses or articulates the disdainful disregard or unconcern of all of us, particularly of the Government, to the problems of the peasantry and of agricultural development. When we look at these problems the Way Dr. Naunihal Singh has looked at these problems the way Dr. Naunihal Singh has looked at, we realise as to what kind of an integrated and comprehensive approach was called for and is even neessary today.

Reference has been made, Mr. Vice-Chairman, to the Plan documents and to what is contemplated in the Eighth Plan. Reference has also been made to the Draft Agriculture Policy Resolution. The strange thing is, two years have already elapsed and three years remain for the Eighth Plan and the Plan is yet to be discussed. After a lot of talk, the Draft Agriculture Policy Resolution has come. It has come after the Plan had been formulated and I do not know what relationship it bears to the Plan as such. The fact of the matter is this. I am not disputing that some progress has been made, that some efforts have been mounted. But, when I had been listening to this debate for the last two weeks, I felt that that was all that I read when I was a student of economics in intermediate and BA classes. The same kind of problems are there. Indian agriculture is a gamble in rains. The peasant is subject to all kinds of hazards. The same kind of situation is stil there. I do not want to go into the history of how many Famine Commissions had appointed in this country before Independence and after. I also do not want to mention how many flood Commissions have been set up to go into the problems of drought and famine and the other ancillary matters and to attend to consequential problems. Even if we have a glance at the successive Seven Plans, we would know that what was intended, what was expected, somehow or other, has not materialised and the situation that we find today is the result of a kind of inertia, lack of imagination and in any case, lack of effort to implement even what has been propounded and what had been placed before the people and the public. Not only that, Mr. Vice-Chairman. You will find that many of the things which have been said in support of this resolution have figured also as isolated individual items either during Question Hour or on certain other occasions. But, it, somehow or other is an index of the insensitivity of the Government; it is an index that there had been hardly any effort towards that end, that is, agricultural development in its wider sense, wider perspective, not in a narrow sense. Nothing fundamental seems to have been done. I know what this resolution will be talked out or will be withdrawn after, again, some mealy-mouthed assurances by the Minister. But in any case a purpose has been served by underscoring the problems which are of a perpetual and continuing nature. Sir, I just want to make a few comments about some of these

problems. I do not want to go into the statistics. I do not want to paint before you either the plight or the misery of the Indian peasant or even the havoc, the damage, that both floods and famines cause or have caused in the recent past. They have created the problem of starvation. What has happened in Bihar, Orissa, Eastern U.P. and so on? We have seen the cry of anguish of many of the Members in the recent past on all these issues. Why is all this happening? Sir, one of the very important things is that the Government of India has completely failed in solving the inter-State water disputes, with the result that the maximum utilisation of water is not possible. When such is the situation, the multipurpose projects somehow or the other remain unfinished, incomplete or disputed. Many of these projects are incomplete because all the while they talk of development and environment, the Government have not yet been able to reconcile the claims of environment and the demands for development. So many authorities and boards are there. The other day we heard the friends coming from the North-Eastern States mentioning about the Brahmaputra Control Board, and the staffing or the lack of it. There is enough technical staff. Even meetings of the Board are not called. This is the kind of situation existing there. It was mentioned that the people who matter even do not visit these places. This is the kind of situation there. One can go on mentioning many of these things which I think the Government has to take into account this lethargy if they really want to put some substance into their promises and find solution to meet this situation. Sir, now the situation has come to this extent that even in the so-called doaba areas of Yamuna and Ganga, in the villages, there is no water for drinking purposes not to speak of other parts of the country—and I am not minimising difficulty elsewhere. I had the experience of going to these places of U.P. two years back. I was aghast: I was born in that area and had worked in the field in different capacities.

I had gone there with the Prime Minister and other Ministers on different occasions to see certain situations. I never knew how rootless I had become how ignorant I had become of the reality. These are places which are not very far from the place where I was born. The villages are not very far from my birthplace. When I found this kind of a situation—I do not want to go into the figures of unemployment and the decreasing opportunities and avenues of employment. I came back and mentioned to very high quarters about my experience of that visit. While touring different places I felt the sheer quality of the unemployment problem and of population explosion. You just go in a jeep or a car in the morning, you will find young people just running towards you. You go a bit more inside the village around 10.00 A.M., you will find youngish people only playing cards. Playing cards at 10.00 A.M.! If you go further inside, you will meet discontended people. You ask them. "What is your education?" Somebody will say, "B.Com." Others will say, "B.Sc., B.A." The reason is, we have spread the network of educational institations, private and Governmental, at the higher levels of education, not bothering about the constitutional directive regarding universalisation of primary education. This is kind of situation we are facing and then one realises the intensity of this problem qualitatively not just numerically. Otherwise, it does not register with us somehow. At the time when Dr. Lohia raised the debate about the per capia income of the common man of this country, he was not heeded. A proposal was made by Mr. Gautam about a land army. It is how the people have been told about wastelands about reclaiming of the land. This is what Dr. Lonia himself mentioned. But then he was pooh-poohed. What has been the Government's response? Only the trouble between the Department and the Corporation or the Board that was set up for reclamation

(Shri Triloki Nath Chaturvedi)

of wastelands. This has been the situation about the development of wasteland. Much was said about Vigyan Kendras and so on and so forth. How long has it taken for the Government itself to decide as to who should look after this work, the Agriculture Ministry or the Planning Commission. If this is the kind of co-ordination you have at the higher levels what kind of co-ordination can we expect from down below?

Mr. Vice-Chairman, when flood or famine occurs the first question is wnat the immediate ameliorative steps are essential. It is a question of remedies and help which can be given. Fortunately, the Indian administrative machinery is well geared to meet a situation of emergency and natural disasters despite many inadequacies, shortcomings and so on and so forth, if it is allowed to work.

On such occasions VIPs visit the affected places with some journalists to get publicity. It is only a further strain on the administration which is already facing difficulties. This will only create a lot of confusion. I don't consider going in helicopters and seeing the water down below or the parched earth, which may be seen or which may not been seen from those heights, as emblematic or symbolic of the sympathy of the high-ups towards the people. That is hardly any amelioration. I will given one example of what happened in Madhya Pradesh recently. The Prime Minister went there. I don't want to criticise. I am not interested in that. The Governor was subsequently asked: How much is the money given by the P. M.? How much is the money coming for famine relief from Delhi? Nothing. Nobody could say how much. This has almost become a joke in our national newspapers. I don't want to blame anybody. But what I am saying is that this is hardly the way to do things. Leave the officers free to work and give them support. The question is: Could you anticipate, with the scientific methods that are available, as far as possible, flood or famine? If you could, give assistance according to that assessment.

The other thing is short-term and long-term measures. Short-term measures may be Five Year Plans but you build up on them long-term measures also. You take the First Plan. There was some kind of combination in the First Plan. On the one hand, industrial projects had been started and, on the other, agriculture was to be put on the right lines. In the Second Plan too-much of emphasis was laid on heavy machinery and so on. That is why there was some criticism. I remember the debate on that. Many people criticised India. They asked: Do you want to eat steel? What happens to agriculture? Now we find that the steel mills are sick and in doldrums. What is the use of talking about the position of agriculture in the early 'fifties or even prior to the attainment of independence? What is required is long-term measures and the long-term measures are multi-purpose projects. Somehow or the other they have been scuttled or no attention has been paid to them. Even the Minister of Irrigation is finding it difficult. A sustained effort is called for. Whatever is our policy that is inadequate. There is no sinceriy of purpose and here is no commitment which are necessary. They have neither the will nor have they the capacity even to implement those limited policies which are there. There is no time; otherwise, I would have given you illustrations as to how old schemes are resurrected and named as new schemes. That provides the Government a safe refuge because the old schemes are now closed and it is too early to evaluate the new schemes which we are starting. This is the kind of approach. I would have given example. I wish the Minister of Agriculture himself had been here at this hour. I attended one of the meetings—it was in a different context—when Rajiv Gandhi was the Prime Minister, though the present Agriculture Minister, though the present Agriculture office at that time. He said, "what

is the need for land reforms?" My distinguished friend has highlighted the promise of land reforms and the different aspects of it. I want to go into that. What is the meaning of the tiller of the soil," "Land to the tiller", question of ownership rights", "ceiling" and so on? What is its meaning? Somehow word is an anathema to the Agriculture Minister. The other day he asked—I don't watch the T.V.—"What was the need for land reforms?" If this kind of an attitude is there, how will the machinery work? I don't want to go into many more examples. Now I come to power failures. Coal is not made available to NTPC because funds are not available. Who is the sufferer? The Government of India is the sufferer! Always they say, "It is a State subject." Ultimately, everything goes down. If it is a State subject, Mr. Vice-Chairman, with great respect I would like to remind him that here comes the question of devolution of powers to States. You can give them resources. Then only be able to plan things. I would like to remind the Agriculture Minister present here that neither citrus fruits grow nor commercial crops grow nor wheat nor rice grow in the corridors of Krishi Bhawan where you find a proliferation of Secretaries, leave aside the type to which once I belonged, or of he so-called technical Secretaries. The need is to go down to the people, the need is to strengthen the staffing pattern in the field and to see whether it has been able to work. Do they get the support that is called for? You go to some places to get an idea of this. When I go to the place to which I belong, I meet persons there. Your officials also come to see me. They say that they have no work. But they are having the some room, some office and pay as they are officers. It is said that a number of technical things have been done. What kind of technical things are done? It is either a camouflage for inefficiency or it is some kind of self-deception in which we are indulging ourselves. This is not the way. So many things are said about crop insurance. What kind of crop insurance have you set up? The other day on the ramparts of Red Fort, the Prime Minister has proposed something more about it. I hope something will come out. A reference was made to the Expert Committee on Agriculture. It submitted 10 reports. Three Expert Committees were appointed. One, Committee on Forestry, second, Committee on Environment and third, Committee on Agriculture. All these subjects are inter-related. I don't hold brief for any Committee because I am not personally enamoured of Committees. The Committee on Agriculture submitted ten reports. Out of these 10 reports, I have seen two or three reports. Many of their policy suggestions are extremely valuable. You may not agree with the remedies which are suggested but at least that will make you think as to what ought to be done about pricing and many other matters and how efforts can be made to make essential supplies available to agriculturist. Mr. Vice-Chairman, I have your directive. I don't want to take more time of the House. But still I have to make one or two more remarks. Too much has been said about the agricultural policy. I have had the opportunity to see the stuff. I did not see any difference in it. It is a hotch potch of different things picked up from earlier plans. It is a some kind of collation. What kind of machinery is going to be installed? It is hardly spelt out. They will again say, "It is a State subject." What can the Central Government do in krishi Bhawan? If there is no coordination among State agencies, the Planning Commission and the Ministry, I am afraid, nothing can be done. No lessons are being drawn from special schemes like NES, community development and specialised programmes. Now about the specialised programmes By just saying that a particular agency will be under the Collector, I don't think you will get the result that you want because ultimately it is the people who have to do it. How much can the best of Collectors do? (a) You will not leave him or her alone and free to do what he or she thinks is good in his or her limited judgement. (b) The question is that development cannot be

(Shri Triloki Nath Chaturvedi)

carried on the shoulders of a Collector. Development has to be ensured through the people, by the people and for the people. What kind of democratic decentralisation do you envisage for the Panchayati Raj? I do not want to go into it. It is an instrument and it is an ideal. It is both, for me. Panchayati Raj is a value system itself, apart from the fact that it is also a tool for agricultural development. But it is unfortunate, the way you have looked at the problem of decentralisation. You are making it a party issue. You are politicising it. I would like to remind the Minister of a report about he so-called de-population or migration of population from the areas. One is, decreasing avenues of employment and the other is lack of amenities Mr. Malaviya and many other hon. Members have pointed this out. There was a report of the urban-Rural Relationship Committee headed by Shri Ajit Prasad Jain. What happened to that? Nothing. We should have Panchayati Raj for the rural areas and also for the urban areas. The trouble is, we look at decentralisation as abdication of authority. When the Government fails, we say that we want to involve the people and we are giving this responsibility to the people or when we want to pacify a certain group because there is trouble, we talk of decentralisation. There is trouble even in the agriculture development policies. My friend pointed out that there are seeds of discontent. The Agriculture development is supposed to solve many tensions. But in this country it has become the crucible of new tensions. Have we taken any lessions from the inequities and imbalances? What is the position of the unorganised labour? We find that minimum wages are fixed by the State Governments. I can mention two States straightway Orissa and Bihar, where efforts are made subsequently to persuade the labour unions and agricultural labour to accept wages which are less than the minimum wages fixed by the Government itself. The same situation may exist elsewhere too. I do not know. Have we taken into account the labour which the family of the agriculturist puts in, while fixing the agricultural prices? The return on capital nas to be calculated. What about the labour put in by the family of the agriculturist in production? That is why, Mr. Vice-Chairman, I would like to say that if you think, by the Panchayati Raj and through decentralisation you are doing only political client—building, then you are not going to achieve your objective. This morning when we were talking about shortage of drinking water throughout the country, particularly in the two Soutnern States, the Chairman observed, 'money has gone into the water.' By that he meant that money has been spent for the purpose of increasing water supply or money has been wasted in the name of water supply. How you want to interpret it is left to you. He has put it in his own inimitable way. I think this is a big lesson. The Urban Development Minister then shifted her responsibility to the Irrigation Department. What I am saying is that this kind of lack of coordination and coordinated effort somehow or other that exists even at high levels. I do not want to talk more about these problems because they have been highlighted by other hon. Members. But certainly I will say one thing and I have done. It is regarding the question of policy and performance. A policy, however good it may be, unless it results in performance, it is absolutely meaningless. There is no point in saying that a policy is good but implementation of the policy is bad. This has been said even as regards corruption. I will only remind what the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, said, "How much money goes to the people"? Not that the fact was ont known to others.

In any sense, what are you doing about it? Again, I do not want to go into that because I myself gave a report at one stage on that, particularly, on how these schemes were working under the 20-Point programme. I only want to suggest that the policy has to be broken into schemes, projects and programmes.

Now, have we really bothered to involve the people? First is the question of their administrative feasibility; second is their economic viability; third is their popular acceptance and fourth is the staffing pattern, both technical and administrative, that you are going to provide, to see to it that those schemes succeed. Somehow or the other, if wishes were horses, beggars would ride them; that is the kind of situation we have; when we talk big about the new Agricultural Policy, there is no attempt at monitoring it, no attempt at evaluating it. Even if there is an attempts at evaluation, there is always an attempt to suppress it. As you know, about the Jawahar Rozgar Yojana a small and hurried evaluation was made. Instead of deriving lessons, instead of trying to improve things, somehow or the other, the Government becomes defensive; either it becomes complacent or it becomes defensive. Even the remedial measures that are being taken are a mere pittance. And that is hardly the way that you can function in a democracy. The question is of social mobilisation of the people, involvement of the people. The words and phrases that have been used I would like to remind you, Mr. Vice-Chairman, Sir, are "public cooperation" and "public involvement". Many other phrases were also used. A mere change of name or nomenclature does not, somehow or the other, add vitality or strength or imagination to what we want to do and to what we ought to do. That is why, before resuming my seat, I would like the Government to think about each word that has been used in this Resolution—words and phrases which are purposeful—and then try to conjure and envision about what they thought of doing on the eve of the first Five Year Plan and what they have not been able to do even at the end of the second year of the Eighth Five Year Plan, which we are yet to discuss. Even during the British times, the economists spoke about Indian economy as an arrested economic development. And today, we find the same situation prevails. And it is not only that the economic development, in totality, is arresed, but agricultural economy the crucial, the central point—the very hinge of this entire development also is arrested, is truncated and has, somehow, tends to be inhibited in every way.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डा० नौनिहाल सिंह जी के इस संकल्प के माध्यम से एक बार फिर इस सदन को कृषक और कृषकों से संबंधित बहुत से मूलभूत मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं माननीय डा० नौनिहाल सिंह जी का आभारी हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, करीब-करीब 12 सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं और चूंकि संकल्प का दायरा काफी विस्तृत है, इसलिए माननीय सदस्यों ने बहुत सी अच्छी बातें रखी हैं। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि सभी बातों पर अपनी सरकार की तरफ से जो टिप्पणी मिलनी चाहिए, वह दे पाऊं, पर मेरा प्रयास होगा कि जो मेरे मंत्रालय से संबंधित बातें हैं, उनपर अपनी बात कहूं।

डा० नौनिहाल सिंह जी का जो संकल्प है, उसमें दो-तीन बातें हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा से कृषकों को जो परेशानी, नुकसान या तकलीफ है। दूसरे, कृषकों का शोषण और तीसरे किस ढंग से सीमान्त और लघु कृषकों की स्थिति या आर्थिक हालत में सुधार किया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। ये मुख्य बातें हैं इस संकल्प में डा० सिंह ने अपने भाषण में एक बात कही है :

Factors such as higher level of arable lands having very high irrigation potential but having very low per capita involvement of the people. The words

[श्री अरविन्द नेताम]

तो मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि जहां तक कि अरेबल लैंड का सवाल है, बिल्कुल ठीक है, काफी है और उस हिसाब से भी सिंचाई का सिंचित रकबा भी काफी है । पर, मैं डा० साहब को यह रिमाइंड कराना चाहूंगा कि वह इस बात को मानते हैं, चूंकि वह भी एक प्रगतिशील किसान हैं, जहां 1950 और 51 में हमारा कुल उत्पादन 51 मिलियन टन हुआ था वहां 1992–93 में 181 मिलियन टन से भी ज्यादा उत्पादन हुआ है । इस प्रकार से करीब-करीब ढाई सौ गुना से भी ज्यादा उत्पादन हुआ है और उसी प्रकार जो 1940 और 1950 के बीच में 1990-91 और 92 में कृषि में जो ग्रोथ रेट रहा है, वह करीब-करीब 2.7 परसेंट है । इस प्रकार से अगर आबादी और कृषि की जो ग्रोथ रेट है, उसको अगर देखेंगे तो कृषि का ग्रोथ रेट आबादी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है । उसी प्रकार से जो पर-केपिटा उपलब्धता की बात कहीं है, खासकर के अनाज की, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है । जहां 1971 से1980 के बीच में जो प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता थी, वह करीब 145 से 150 किलोग्राम रही है, वहां से बढ़कर के इस 10 साल में करीब-करीब 165 से 170 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता हुई और यह 1981 और 1991 के बीच में दूसरे दशक में जाकर के करीब-करीब 175 से 180 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हुआ है । तो इस प्रकार से यह जो पर-केपिटा उपलब्धता है फूड ग्रेन की, उसमें भी इन्क्रीज हुई है। इस प्रकार से कल तक जो हम निर्यात के मामले में बहुत पीछे थे, अनाज का निर्यात भी इस बीच में हुआ है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि इस दिशा में कृषि के क्षेत्र में इन सालों में काफी विकास हुआ है और धीरे-धीरे और विकास हो ही रहा है । परन्तु जो प्राकृतिक विपदा के बारे में, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसी सदन में सूखे और बाढ़ पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत से मुद्दों पर मेरे वरिष्ठ मंत्री डा० जाखड़ ने बहुत विस्तार में अपने जवाब में इस सदन को अवगत कराया है । इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों के हित में है, वह प्राइसिंग पालिसी है । आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कृषि मूल्य के बारे में आज से दो साल पहले या तीन साल पहले जिस रेशों में वृद्धि होती थी, वह बहुत कम होती थी । परन्तु अगर पिछले दो साल का देखें तो कृषि के मूल्य में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई और उसका एक कारण भी है कि खाद में बढ़ोत्तरी होने की वजह से भी कृषि मूल्य आयोग ने जो बढ़ोत्तरी की है और सरकार ने उसमें विचार करके कुछ और बढ़ोत्तरी की है, उसमें आप देखेंगे कि 1992 और 1993 और 1993-94 साल में करीब-करीब पैंडी में 40 से 60 रुपये बढ़ोत्तरी हुई है, जो 14 परसेंट से लेकर 20 परसेंट तक है । वैसे कोर्स ग्रेन में 30 रुपया, जिसमें 8 परसेंट वृद्धि हुई है पिछले सीजन से । तो इसी प्रकार से करीब-करीब सभी फसलों में काफी वृद्धि हुई है । यह पहली बार है कि इस सरकार के द्वारा जहां तक किसानों को कृषि मूल्य के माध्यम से मदद करने का सवाल है, उसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है । मैं कह सकता हूं कि इससे इस देश के किसानों को उत्साह मिला है ताकि वे खेती के काम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सकें । इस प्रकार से प्राइसिंग पालिसी के बारे में मैं कह सकता हूं कि पिछले 2 साल में किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने मदद करने का प्रयास किया है । वह बात सही है और जैसा कि आप जानते हैं कि खाद के दाम कुछ बढ़े लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से हजार रुपया प्रति प्रति टन रियायत देने की बात कही गई थी ताकि किसानों को मदद मिल सके । इस साल के लिये 756 करोड़ रुपये रखा गया है और उसमें करीब-करीब 365 करोड़ खरीफ का है और 465 करोड़ रबी का है । उसी प्रकार एम ओ पी /डी.ए.पी में रियायत थी । इस साल उसमें सिंगल सुपर फास्फेट को

इंक्लूड किया गया है। इस बात की कोशिश की गई है कि जो गत वर्ष रियायत दी गई थी, इस साल भी दी जाय । इससे किसानों को काफी राहत मिली है।

डा० सिंह साहब ने जो कहा है, खासकर एक्सप्लायटेशन के बारे में, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से जो वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती है उसमें काफी बढ़ोत्तरी की गई है और आप देखेंगे कि 1985–86 में जहां यह राशि 7500 करोड़ रुपये थी, वह 1992–93 में बढ़कर 13,800 करोड़ रुपये हो गई है जो करीब-करीब 200 परसेंट की बढ़ोत्तरी है, जो समस्त वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इस देश के किसानों को मिलेगी।

मैं कह सकता हूं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी किसानों के लिये बहुत लाभदायक है। इरिगेशन के बारे में भी बहुत से सदस्यों ने कहा है। हालांकि इस संबंध में मैं बहुत थोड़ा कहना चाहूंगा क्योंकि भारत सरकार की तरफ से 8वीं योजना में भी प्राथमिकता के आधार पर कृषि क्षेत्र के लिये इरिगेशन की बात कही गई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेजर इरिगेशन स्कीम्स में आठवीं योजना में 22,414 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है और मीडियम और माईनर स्कीम्स में 5,997 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह प्रावधान इसीलिये किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा एरियाज में सिंचाई हो सके। हालांकि डा० सिंह साहब ने कहा कि 113 मिलियन हैक्टेयर का पोटेंशियल क्रियेट करना था परन्तु उसमें अभी तक 83.3 मिलियन हेक्टेयर पर एक्चुअल इरिगेशन का पोटेंशियल क्रियेट किया गया है । फिर भी आठवीं योजना में जो बढ़ोत्तरी होगी, उससे हमें उम्मीद है कि कृषि के उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी होगी।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने डंकल प्रस्ताव के बारे में कहा है। श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने भी इस प्रस्ताव के बारे में कहा है। आप जानते हैं कि यह प्रस्ताव अभी भारत सरकार के सामने विचाराधीन है और जब तक इस पर कोई अन्तिम फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है, तब तक मेरे लिये इस संबंध में कुछ भी कमिट करना मुश्किल है। आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी समय-समय पर इस बात को कहते रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा, वह देश के किसानों के हित में लिया जाएगा।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मिनिस्टर साहब एक मिनट, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं । इस सिलसिले में क्या भारत सरकार कोई ऐसा डाकुमेंट तैयार करवा देगी, जिससे पता लगे कि इसमें क्या-क्या किसानों के लिये फायदे है, और क्या-क्या नुकसान का है। आप क्या फैसला करते हैं, वह तो बाद की बात

5.00 P.M. है।उधर मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसानों का ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो इस लिहाज से दो अलग-अलग बातें निकलती हैं, तो आप कोई कमिट न करें, लेकिन स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री अरविन्द नेताम : जैसा मालवीय जी ने कहा अगर इसके ऊपर चर्चा करें, तो उसमें यह बात आ जाएगी।

इसलिये दो तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। डा. सिंह के जो मुख्य मुद्दे हैं....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : कृपया जल्दी समाप्त करें, आपको मौका मिलेगा नहीं।

श्री अरविन्द नेताम : एक तो कृषि नीति जो देश के सामने पेश की गई है,

उसमें एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसके तहत रोजगार और कुपोषण जैसी समस्याओं के लिये कृषि में विविधता लाने के लिए, कृषि में रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जाएगी। यह जो मूल नीति है, इस कृषि नीति पर जब बहस होगी, तो माननीय सदस्य उसमें अपने सुझाव देंगे जिससे सरकार इस मामले में खुले दिमाग से सदन के सामने जो सुझाव आएंगे, उन पर गौर करेगी। तो नई कृषि नीति से मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसर खासकर कृषि के क्षेत्र में बढ़ेंगे।

अन्त में, जो प्लांड ऐलोकेशन के बारे में हमारा विचार है, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि 8 वीं पंचवर्षीय योजना में, उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जहां 7वीं योजना में 3436 करोड़ का प्रावधान ऐग्रिकल्चरल सैक्टर के लिए था, वहां 8वीं योजना में 10 हजार करोड़ का प्रावधान है। उसमें मुख्य विशेषता यह है कि खासकर मछली पालन, बागवानी, दो ऐसे सैक्टर हैं, जहां काफी बढ़ोत्तरी की गई है। जहां रोजगार भी होंगे, निर्यात भी बढ़ेगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 8वीं पंच वर्षीय योजना में जो प्लांड ऐलोकेशन हुआ है, उससे कृषि के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस बढ़ोत्तरी से और जो नई प्रायोरिटीज कृषि मंत्रालय ने दी है, बागवानी और फिसरीज और सहकारिता क्षेत्र में बारानी खेती, ड्राई फार्मिंग में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इंवेस्ट करें, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। सूखे की खेती जहां 52 एकड़ थी, वहां करीब-करीब 1100 एकड़ का प्रावधान है। जहां वर्षा पर आधारित खेती है, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां जमीन की नमी को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाए, यह प्रयास इस योजना में है। इसलिये मैं चाहता हूं कि 8वीं योजना में खेती को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि माननीय सिंह जो विद्वान सदस्य हैं, वह मेरी बातों पर गौर करके अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, Shri Shinde to lay a copy of the Report of the Joint Committee and the Evidence tendered before the Joint Committee.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (Maharashtra): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report (in English and Hindi) of the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution (Eightieth Amendment) Bill, 1993...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Sir, I have an objection...

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE...and the Biy further to amend the Representation of the People Act, 1951 viz., the Representation of the People (Amendment) Bill, 1993.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh) Sir, he has got an objection. Please listen to his objection. (Interruptions).

श्री संघ प्रिय गौतम : यह रिपोर्ट नहीं रखी जा सकती। मैं विरोध करता हूं। माननीय उपसभापति जी ने लंच के समय एडजार्न करते समय यह घोषणा की थी .. (**व्यवधान**)

EVIDENCE TENDERED BEFORE THE JOINT COMMITTEE

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (Maharashtra): Sir, I beg to lay on the Table the record of the evidence tendered before the Joint Committee on the Bill further..(Interruptions)